संख्या-2/2017/ए-2-1235/दस-2017-24(7)/95

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2-सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
3-समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
4-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 12 दिसम्बर, 2017

विषय: वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन।

---

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-1 में विद्यमान वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार राज्यपाल महोदय अनुलग्नक में उल्लिखित वित्तीय अधिकारों में संशोधन किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त प्रतिनिधायन तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे और जो विशेष मदें, अनुलग्नक में सम्मिलित हैं, उनके बारे में कालम-5 में अंकित पूर्व प्राधिकार तदनुसार संशोधित/निरस्त समझे जायेंगे ।

3- शेष प्राधिकार, जो वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-1, द्वितीय संस्करण (यथा संशोधित) एवं वित्तीय प्रतिनिधायन से संबंधित समय-समय पर निर्गत पूर्व आदेशों में उल्लिखित हैं, वे यथावत् रहेंगे ।

संलग्नक: यथोपरि ।

भवदीय,
संजीव मित्तल
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृष्ठांकन संख्या-2/2017/ए-2-1235(1)/दस-2017-24(7)/95, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- प्रधानमहालेखाकार, (सिविल आडिट) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, राजभवन, लखनऊ ।
4- प्रमुख सचिव, विधानसभा/विधान परिषद सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
5- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 24/3 इंदिरा नगर, लखनऊ।
8- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
राजीव श्रीवास्तव,
विशेष सचिव।

.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

**शासनादेश संख्या-2/2017/ए-2-1235/दस-2017-24(7)/95 दिनांक 12 दिसम्बर, 2017 का अनुलग्नक**

| वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 से संबंधित विवरण पत्र की क्रम संख्या | अधिकार का प्रकार | किसके द्वारा प्रयोग किया जायेगा | परिसीमायें | पूर्व प्राधिकार |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **विवरण पत्र- VIII प्रकीर्ण आकस्मिक व्यय** | | | | |
| 2 | विभाग के लिए सामान्य प्रकार के प्रासंगिक व्यय, जिसके लिये अन्यत्र कोई विशिष्ट प्रतिनिधायन नहीं किया गया हो, स्वीकृत करना। | 1- कार्यालयाध्यक्ष<br><br>2- विभागाध्यक्ष<br><br>3- प्रशासनिक विभाग | प्रत्येक मद में 5,000 रूपये तक।<br><br>प्रत्येक मद में 1.00 लाख रूपये तक।<br><br>आय-व्ययक व्यवस्था के अन्तर्गत पूर्ण अधिकार ।<br>टिप्पणी:- उपरोक्त प्रतिनिधायन निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं:-<br>(1) स्वीकृति तभी दी जाये जब यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि व्यय को पूरा करने के लिये निधियां उपलब्ध हैं।<br>(2) इस प्रतिनिधायन का उपयोग उन प्रयोजनों के लिये नहीं किया जाना चाहिये जिनके लिये विशिष्ट प्रतिनिधायन अन्यत्र मौजूद हैं अथवा जिनके लिये औपचारिक स्वीकृति अपेक्षित नहीं है।<br>(3) यदि व्यय के सामान्य प्रकार का होने में अथवा राज्य के राजस्व में से उसके उचित रूप से भुगतान किये जाने के संबंध | वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 के विवरण पत्र- VIII का क्रमांक-2 । |

http://shasanadesh.up.nic.in

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | में कोई संदेह हो तो उस विषय में वित्त विभाग की राय लेनी चाहिये ।<br>(4) सार्वजनिक सेवा के लिये अपेक्षित वस्तुओं की पूर्ति किये जाने से संबंधित नियमों का तथा लेखन-सामग्री की खरीद को विनियमित करने वाले नियमों का सख्ती से पालन किया जाता हो।<br>(5) जहां व्यय की मात्रा निर्धारित कर दी गई हो अथवा अन्य परिसीमायें निर्धारित की गई हों तो उन अनुदेशों का सावधानी से पालन किया जाना चाहिये। | |
| **<u>विवरण पत्र- XVI- भूमि तथा भवन</u>** | | | | |
| **3** | राज्य की निधियों से निर्मित उनके नियंत्रण के अधीन (आवासिक भवनों और डाक बंगलों को छोड़कर) भवनों का (जिला राजस्व प्राधिकारियों के माध्यम से) विक्रय अथवा विध्वंस स्वीकृत करना । | 1-विभागाध्यक्ष<br><br>2-प्रशासनिक विभाग | भवनों का विध्वंस एवं विक्रय स्वीकृत करने के मामले में 1.00 लाख रूपये के खाता मूल्य तक। कलेक्टर के इस आशय के प्रमाण-पत्र के अधीन कि उन्होंने अपेक्षित जांच के बाद और अपनी पूरी जानकारी में यह सुनिश्चित कर लिया है कि उक्त भवन की किसी अन्य विभाग को आवश्यकता नहीं है और सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उसे सुविधापूर्वक उपयोग में नहीं लाया जा सकता है ।<br>1.00 लाख रूपये से अधिक एवं 2.00 लाख रूपये के खाता मूल्य तक ।<br>टिप्पणी-<br>(1) भवनों का बाजार मूल्य पर विक्रय(भूमि को सम्मिलित करते हुये) किया जायेगा।<br>(2) भूमि का मूल्य जिलाधिकारी तथा भवन का मूल्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा। | शासनादेश सं0-ए-2-1092/दस-2011-24(7)/95 दिनांक 25 नवम्बर, 2011 |

http://shasanadesh.up.nic.in

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **<u>विवरण पत्र- XX- भण्डार और सामग्री (स्टोर्स एण्ड स्टाक्स)</u>** | | | | |
| 3(1) | नई साज-सज्जा का क्रय स्वीकार करना । | 1- विभागाध्यक्ष<br><br>2- प्रशासनिक विभाग | निम्नलिखित शर्तो के अधीन पूर्ण अधिकार :-<br>(1) किसी एक वस्तु का मूल्य 2.00 लाख रूपये से अधिक नहीं होगा।<br>(2) क्रय की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिये।<br>(3) स्वीकृत विशिष्ट प्राविधानित अनुदानों के अन्तर्गत निधियां उपलब्ध हैं।<br><br>पूर्ण अधिकार | शासनादेश सं0-ए-2-1092/दस-2011-24(7)/95 दिनांक 25 नवम्बर, 2011 |
| **<u>विवरण पत्र- XXII- हानियों को बट्टे खाते डालना</u>** | | | | |
| 1 | भण्डार या लोकधन की अवसूलनीय हानियां (जिनके अंतर्गत पूर्णत: नष्ट हुये स्टाम्पों की हानि भी सम्मिलित है) को बट्टे खाते डालना। | ---- | इस को क्रम संख्या-9 पर उल्लिखित वित्तीय अधिकार में समाहित माना जाय। | शासनादेश सं0-ए-2-1092/दस-2011-24(7)/95 दिनांक 25 नवम्बर, 2011 |
| 5 | सरकारी पुस्तकालयों से खोई अथवा नष्ट हुई पुस्तकों की अवसूलनीय हानियों को बट्टे खाते में डालना । | 1- विभागाध्यक्ष एवं<br>2- जिला एवं सत्र न्यायाधीश और उपपुलिस महानिरीक्षक<br><br>3- प्रशासनिक विभाग | प्रत्येक पुस्तक के संबंध में रूपये 1000 के मूल्य तक किन्तु एक वर्ष में कुल रूपये 1.00 लाख की अधिकतम सीमा तक।<br><br>पूर्ण अधिकार | शासनादेश सं0-ए-2-1092/दस-2011-24(7)/95 दिनांक 25 नवम्बर, 2011 |
| 6 | राजस्व की हानि (जिनके अंतर्गत न्यायालयों द्वारा डिक्री की गई अवसूलनीय धनराशि भी | 1- विभागाध्यक्ष | 25,000 रूपये की सीमा तक, प्रतिबंध यह है कि प्रशासकीय विभाग को यथानुसार अवगत कराया जाय। | शासनादेश सं0-ए-2-1092/दस-2011-24(7)/95 दिनांक 25 नवम्बर, 2011 |

http://shasanadesh.up.nic.in

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | सम्मिलित है) या अवसूलनीय ऋण या अग्रिम धन का बट्टे खाते डालना। | 2-मण्डलायुक्त<br><br>3-प्रशासनिक विभाग | राजस्व विभाग के संबंध में:-<br>25,000 रूपये की सीमा तक, प्रतिबंध यह है कि प्रशासकीय विभाग को यथानुसार अवगत कराया जाय।<br><br>1.00 लाख रूपये की सीमा तक।<br>वित्त विभाग की सहमति से 1.00 लाख रूपये से 5.00 लाख रूपये की सीमा तक।<br><br>टिप्पणी- उपरोक्त अधिकार का प्रयोग उन्हीं शर्तों के अधीन किया जायेगा, जो मद संख्या-9 में उल्लिखित है। | |
| 9 | दुर्घटनाओं, जालसाजी, असावधानी या अन्य कारणों से खोये या नष्ट हुये या क्षतिग्रस्त हुये भण्डारों एवं अन्य सम्पत्ति के वसूल न हो सकने वाले मूल्य या खोये सरकारी धन की वसूल न हो सकने वाली धनराशियों को बट्टे खाते डालना। | 1-कार्यालयाध्यक्ष<br><br>2-विभागाध्यक्ष<br><br>3-मण्डलायुक्त<br><br>4-प्रशासनिक विभाग<br><br>5- मंत्रिपरिषद | प्रत्येक मामले में रूपये 20,000 तक बशर्ते एक वर्ष में कुल रूपये 4.00 लाख से अधिक की हानियां बट्टे खाते में न डाली जाय ।<br><br>प्रत्येक मामले में रूपये 2.00 लाख की सीमा तक, किन्तु एक वर्ष में कुल रूपये 10.00 लाख की अधिकतम सीमा तक।<br><br>राजस्व विभाग के संबंध में:-<br>प्रत्येक मद में रूपये 2.00 लाख की सीमा तक किन्तु एक वर्ष में कुल रूपये 10.00 लाख की अधिकतम सीमा तक।<br><br>प्रत्येक मद में 2.00 लाख से अधिक तथा रूपये 25.00 लाख से अनधिक की सीमा तक किन्तु एक वर्ष में कुल रूपये 1.00 करोड़ से अधिक न हो।<br><br>उपरोक्त क्रमांक-4 से अधिक धनराशि के प्रकरण ।<br><br>उपरोक्त प्रतिनिधायन इस शर्त के अधीन है कि हानि से इस बात का पता न चलता हो कि:-<br>(1) प्रणाली का कोई दोष है जिसमें संशोधन के लिये उच्चतर प्राधिकारी के आदेशों की आवश्यकता हो, अथवा | शासनादेश सं0-ए-2-1092/दस-2011-24(7)/95 दिनांक 25 नवम्बर, 2011 |

http://shasanadesh.up.nic.in

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | (2) किसी एक विशेष अधिकारी अथवा अधिकारियों की ओर से कोई घोर असावधानी की गई है, जिसके निमित्त संभवत: अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिये उच्चतर प्राधिकारी के आदेशों की आवश्यकता हो। | |
| 11 | स्टाक में अन्तर्विष्ट स्टोरों के मूल्य में और अन्य लेखाओं में कमियां और ह्रास(मोटर गाडियों व मोटर साइकिल के अतिरिक्त) के मामलों को बट्टे खाते में डालना। | 1-विभागाध्यक्ष<br><br>2-मण्डलायुक्त<br><br>3-प्रशासनिक विभाग | 20,000 रूपये तक प्रशासकीय विभाग को अवगत कराते हुये।<br><br>राजस्व विभाग के संबंध में:-<br>20,000 रूपये तक प्रशासकीय विभाग को अवगत कराते हुये।<br><br>20,000 रूपये से ऊपर 50,000 रूपये की सीमा तक ।<br><br>वित्त विभाग की सहमति से-<br>50,000 रूपये से ऊपर 5.00 लाख रूपये की सीमा तक। | शासनादेश सं0-ए-2-1092/दस-2011-24(7)/95 दिनांक 25 नवम्बर, 2011 |

http://shasanadesh.up.nic.in